

मुकदमों का विवरण

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम।

भूपेंद्र यादव

(2023 की सिविल अपील संख्या 5984) 20 सितंबर, 2023

**[हिमा कोहली और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स**

विचार के लिए विषय: क्या अपीलकर्ताओं ने सिपाही के पद के लिए प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में गलती की है, इसके बावजूद कि प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में इस तथ्य का सच्चाई से खुलासा किया है कि उसने एक आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे बरी कर दिया गया था।

सेवा विधि -नैतिक अधमता के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारी को अस्वीकार करना-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: एक नियोक्ता के पास एक उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रकटीकरण में चूक को समाप्त करने या माफ करने का विवेकाधिकार होता है-ऐसा करते समय, नियोक्ता को विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, पद की प्रकृति और निर्वहन के लिए आवश्यक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए-पद जितना अधिक हो, लागू किए जाने वाले मानक अधिक कठोर होने चाहिए-भले ही एक सच्चा खुलासा किया गया हो, नियोक्ता को एक उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने का अधिकार है और एक निष्कर्षित आपराधिक न्यायालय में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखें और यह सत्यापित करें कि क्या बरी होना सम्मानजनक है या तकनीकी कारणों से लाभ बढ़ाया गया है-यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पदधारी एक संदिग्ध चरित्र का है या पद के लिए अयोग्य है, तो वह नहीं हो सकता है।<sup>341</sup> भारतीय दंड संहिता सी. का संयोजन किया गया था-जहां तक शेष अपराधों का संबंध है जिनके लिए प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया गया था अर्थात् भारतीय दंड संहिता सी. और एस. की s.354 (डी)।<sup>11</sup> ((घ) 439 में से 12

438

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव 440

पॉक्सो अधिनियम, वे गैर-शमनीय थे और इसलिए, मामले को मुकदमे में ले जाया गया-प्रतिवादी को निचली न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण बरी कर दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन नहीं किया था और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह मुकर गए थे-ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी की याचिका कि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, गुणों से रहित पाई जाती है-आपराधिक

मामले में प्रतिवादी को केवल बरी करने से वह स्वतः ही विषय पद पर नियुक्ति के लिए घोषित होने का हकदार नहीं होगा।[पैरा 10,16,19]

शहरों और  
अन्य संदर्भों  
की सूची

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 471:[2016] 7 एस. सी. आर. 445; दया शंकर यादव।भारत संघ और अन्य (2010) 14 एस. सी. सी. 103: [2010] 13 एस. सी. आर. 1076; राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम अनिल कंवरिया (2021) 10 एस. सी. सी. 136-पर भरोसा किया।पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह

(2013) 7 एससीसी 685:[2013] 13 एस. सी. आर. 432; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और अन्य (2018) 1 एससीसी 797:[2018] 1 एस. सी. आर. 112; पवन कुमार बनाम भारत संघ और एक अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 532; आशुतोष पवार बनाम एम. पी. का उच्च न्यायालय और एक अन्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 72; जैनेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 748:[2012] 6 एस. सी. आर. 1047; मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम

अभिजीत सिंह पवार (2018) 18 एससीसी 733:[2018] 13 एस. सी. आर. 1133; आर. के. कपूर बनाम भारतीय संघ और एक अन्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787:[1964] एस. सी. आर. 431; राज्य

मध्य प्रदेश और अन्य बनाम परवेज खान (2015) 2 एस. सी. सी. 591:[2014] 14 एस. सी. आर. 520-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 5984।2018 के डब्ल्यू. ए. No.46 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.01.2018 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

भरत सिंह, ए. ए. जी., हरमीत सिंह रूपरा, डी. ए. जी., अभिमन्यु सिंह, सनी चौधरी, शशांक शेखर, सुमित अरोड़ा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

[2023] 14 एस सी आर।

सुश्री सावित्री पांडे, भुपेश पांडे, डॉ. सुशील बलवाड़ा, श्रीलोक नाथ रथ, सुश्री रीना राव, सुश्री आकांक्षा राय, सुश्री अपेक्षा राय, प्रमोद कुमार, विवेकानंद राणा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च  
न्यायालय  
का  
निर्णय/आदेश  
निर्णय

हिमा कोहली, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 24 जनवरी, 2018 के फैसले के लिए वर्तमान अपील में एक चुनौती दी गई है, जिसमें 17 नवंबर, 2017 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता-राज्य सरकार के नेतृत्व में अपील 1 को खारिज कर दिया गया है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक रिट याचिका 2 में पारित किया गया था और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया था।

3. हम सबसे पहले मामले के प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं।

3.1 मई, 2015 में, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोक नगर (एम. पी.) की न्यायालय में विशेष सत्र मामले 4 में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामला 3 दर्ज किया गया था। प्रतिवादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 5 की धारा 341, 354 (डी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (डी)/12 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे। प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह था कि 14 फरवरी, 2015 को उसने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ शिकायतकर्ता (एक नाबालिग) को गलत तरीके से रोक दिया था और उसकी शील भंग करने की कोशिश की थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा उससे दोस्ती करने के लिए बार-बार उकसाने के बावजूद, उसने लगातार उसका पीछा किया, उस पर एक पत्र और फ्लावर्स फेंके और जोर देकर कहा कि वह उससे बात करे।

1 2018 की रिट अपील संख्या 46 2 2017 की रिट याचिका संख्या 19621

3 इसागढ़, जिला अशोकनगर में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 341, 354 (डी), 323, 34 के अंतर्गत और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7, 8 और 11 (डी)/12 के अंतर्गत दर्ज अपराध No.64/2015 के माध्यम से, संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम'।

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 442

3.2 अभिलेख से पता चलता है कि मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता मुकर गया था। सत्र मामला 4 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोक नगर, सांसद द्वारा पारित निर्णय 6 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट होता है कि पक्षकार एक समझौते पर पहुंचे। नतीजतन, न केवल शिकायतकर्ता बल्कि घटना को देखने वाले उसके दोस्त भी इनकार करने की स्थिति में चले गए और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। निचली न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज किया कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी (उसमें आरोपी) के बीच एक समझौता हुआ था और पक्षों द्वारा दिए गए समझौते के आवेदन के आधार पर, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 341 के अंतर्गत उसके खिलाफ विरचित आरोपों को बढ़ा दिया गया था। चूंकि अन्य मामले जिनके लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था, गैर-शमनीय थे, इसलिए मामला जारी रहा, लेकिन क्योंकि अभियोजक और अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह मुकर गए, इसलिए निचली न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (डी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (डी)/12 के अंतर्गत विरचित गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

3.3 अगले ही वर्ष, यानी 2016 में, अपीलार्थी-राज्य सरकार ने कांस्टेबलों के पद की रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की। प्रत्यर्थी ने उक्त परीक्षा में भाग लिया और ओ. बी. सी. श्रेणी के अंतर्गत अर्हता प्राप्त की। इसके बाद, एक शारीरिक परीक्षण किया गया जिसे प्रतिवादी द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। अंत में, उनके प्रदर्शन के आधार पर, प्रतिवादी का चयन किया गया और उन्हें उज्जैन में तैनात किया गया। 22 जुलाई, 2017 के पत्र के माध्यम से, अपीलकर्ता संख्या 3-पुलिस अधीक्षक, उज्जैन ने प्रतिवादी को निर्धारित प्रपत्र के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सत्यापन प्रपत्र में, प्रत्यर्थी ने उपरोक्त आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता और निचली न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के बारे में जानकारी का खुलासा किया।

3.4 उसके सत्यापन प्रपत्र की जांच करने पर, अपीलार्थी संख्या 3-पुलिस अधीक्षक, उज्जैन ने 24 अगस्त, 2017 को प्रत्यर्थी को एक संदेश भेजा जिसमें उसे सूचित किया गया कि वह भर्ती के लिए अयोग्य पाया गया है। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त पत्र की सामग्री नीचे दी गई है:—

6 तिथि 26 अक्टूबर, 2015

7 No./SP/Ujjain/Est./P3756A/17 दिनांकित:24.08.17

/

[2023] 14 एस सी आर।

“पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जिला उज्जैन, एमपी

No./SP/Ujjain/Est./P3756A/17, दिनांक:24.08.17 को,

भूपेंद्र यादव

श्री कल्याण सिंह यादव का पुत्र गाँव पोस्ट परसौल

जिला अशोक नगर, सांसद

उप:चरित्र सत्यापन में अयोग्य होने के बारे में

संदर्भ:पत्र सं। विशा/21/वैहर/2016-17 (F 515/17) दिनांक 09.08.17 उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करना है कि आपको कांस्टेबल चयन परीक्षा 2016 में चुना गया था और आपको उज्जैन जिला आवंटित किया गया है। आपको अपराध संख्या 341,354-डी, 323,34 भारतीय दंड संहिता सी. और 7/8 पॉक्सो अधिनियम, धारा 354 (डी) भारतीय दंड संहिता सी. और धारा 11 (डी)/12 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, 2012 में इसागढ़ जिला अशोक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है क्योंकि आपके चरित्र सत्यापन में अपराध संदेह से परे साबित नहीं हुआ था।

आपको सरकारी सेवा के लिए अयोग्य पाया गया है क्योंकि धारा 7/8, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 354 और 11 (डी) 12 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नैतिक अपमान से संबंधित हैं।

एसडी/-

पुलिस अधीक्षक

जिला उज्जैन

प्रतिलिपि बनाएँ:

01. पुलिस लाइन उज्जैन के आरक्षित निरीक्षक ने दो प्रतियों के साथ कहा कि एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाए और प्राप्तकर्ता की पावती अधिकारी को भेजी जाए।

विज्ञान/-

पुलिस अधीक्षक

जिला उज्जैन "

443

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 444

3.5 अपीलार्थी सं. 3-पुलिस अधीक्षक, उज्जैन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 2 को प्राथमिकता देते हुए

अनुरोध किया कि अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी सं. 3 द्वारा पारित 24 अगस्त, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और उसे सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने के निर्देश जारी किए जाएं। 17 नवंबर, 2017 के फैसले के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रतिवादी के नेतृत्व में रिट याचिका 2 एफ. आई. को खारिज कर दिया:

“दिनांक 24.08.2017 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में। याचिकाकर्ता के 2016 (4) एम. पी. एल. जे. 332 मामले पर विचार किया गया है और उसी आक्षेपित आदेश पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के मामले को नैतिक अधमता का मानते हुए पारित किया गया है। एक बार विभागीय अधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठता है। अन्यथा भी मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 354 (डी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7, 8, 11 (डी) और 12 से संबंधित है जो नैतिक पतन के बराबर है, इसलिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है।

3.6. उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंड न्यायापीठ को अपील) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (1) के अंतर्गत एक अपील 1 में चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत खंड पीठ ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 24 अगस्त, 2017 के आदेश और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 17 नवंबर, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया और तत्काल मामले के तथ्यों में एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया। 1. अपील को अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय के साथ जिन दो कारकों का वजन था, वे थे कि प्रतिवादी ने आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का उचित रूप से खुलासा किया था जिसमें उसे बरी कर दिया गया था और उक्त मामले को छोड़कर, उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई है। 4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री भरत सिंह ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है और इस तथ्य की अनदेखी की है कि एक उम्मीदवार जो पुलिस सेवा में भर्ती चाहता है, वह होना चाहिए

/

[2023] 14 एस सी आर।

दोषरहित चरित्र, सत्यनिष्ठा और स्वच्छ इतिहास; कि आपराधिक मामले में केवल बरी होने से प्रतिवादी को पुलिस सेवा में नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है; कि यह हमेशा एक नियोक्ता के लिए खुला है कि वह एक उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करे और इस बात

की जांच करे कि क्या वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे विवेकाधिकार में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो। अंत में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही प्रतिवादी और शिकायतकर्ता के बीच आपराधिक मामले 3 में एक समझौता किया गया था और उसे संदेह का लाभ दिए जाने पर बरी कर दिया गया था, फिर भी यह निर्णय लेना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है कि क्या प्रतिवादी इस पद पर नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया था, उसमें नैतिक अधमता शामिल थी। उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान वकील ने आयुक्त का हवाला दिया है

पुलिस, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह **8**; अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **9**; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और अन्य **10** और पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य **11**।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की विद्वत वकील, सुश्री सावित्री पांडे ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के नेतृत्व में रिट याचिका 2 एफआई को खारिज करने में त्रुटि की है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सत्यापन प्रपत्र को भरने के दौरान, उन्होंने सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की थी और विधिवत आपराधिक मामले 3 का खुलासा किया था जिसमें वह शामिल थे और इसके अंतिम परिणाम। हालाँकि, प्रत्यर्थी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका 2 को खारिज कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही ढंग से पलट दिया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा 26 अक्टूबर, 2015 को पारित आदेश का उल्लेख करते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इसे निर्दोष बरी होने का मामला बताया और तर्क दिया कि अपीलार्थी संख्या 3 को प्रत्यर्थी को कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं करना चाहिए था। 6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना है, अभिलेख और हमारे सामने उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों का अध्ययन किया है।

8 (2013) 7 एससीसी 685 9 (2016) 8 एससीसी 471 10 (2018) 1 एससीसी 797

11 2022 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 532 445

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 446

जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं ने सिपाही के पद के लिए प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में गलती की है, इसके बावजूद कि उत्तरदाता ने अपने हलफनामे में इस तथ्य का सच्चाई से खुलासा किया है कि उन्होंने एक आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बरी कर दिया गया था। 7. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक

सत्यापन प्रपत्र में, उसने वर्ष 2015 में अपने खिलाफ दर्ज मामले और इस तथ्य का खुलासा किया था कि उसने उक्त मामले में मुकदमे का सामना किया था जो 26 अक्टूबर, 2015 के फैसले के माध्यम से उसे बरी करने में समाप्त हुआ था। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने विषय पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय या शपथ पत्र/सत्यापन प्रपत्र भरने के समय अपीलार्थियों से भौतिक जानकारी को रोक दिया था। डिवीजन बेंच और विद्वान एकल न्यायाधीश के बीच जिस बिंदु पर राय भटक गई है, वह यह है कि अवतार सिंह 10 (ऊपर) में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया गया था और कहा गया था कि विभाग को 24 अगस्त, 2017 को पत्र जारी करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी को इस आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया था कि यह नैतिक अधमता का मामला था, डिवीजन बेंच ने इसके विपरीत निर्णय दिया और प्रदीप कुमार 11 (ऊपर) में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले और मध्य उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

आशुतोष पवार बनाम एम. पी. उच्च न्यायालय और अन्य **12** मामलों में प्रदेश ने टिप्पणी की

कि वर्तमान जैसे मामले में जहां प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं था, सिवाय उस मामले के जिसमें उसे बरी कर दिया गया था और विभाग ने प्रत्यर्थी के अतीत पर गहराई से विचार नहीं किया था, यह मामला नए सिरे से विचार के लिए अपीलार्थियों के पास मामला भेजने का मामला था।

8. एक उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मानक को नियोक्ता द्वारा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव आदि सहित विभिन्न कारकों के आधार पर मापा जाता है। हालाँकि, इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है [संदर्भ, पवन कुमार 12 (ऊपर)]। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक उम्मीदवार जो चयन प्रक्रिया में भाग लेने का प्रस्ताव करता है, उसे अपने चरित्र और पूर्वजों के संबंध में आवश्यक एफ़ी डेविट/सत्यापन प्रपत्र में सही और सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए।

12 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 72 (2016 की रिट याचिका संख्या 5865)

/

[2023] 14 एस सी आर।

चयन प्रक्रिया के दौरान या सेवा में शामिल होने के बाद, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जाना। एक उम्मीदवार जो गलत घोषणा करता है या भौतिक जानकारी को दबाता है या आधी-अधूरी जानकारी प्रस्तुत करता है जो पूरी तरह से सच नहीं हो सकती है, उसे प्रतिकूल परिणामों के साथ देखा जा सकता है, भले ही उसने उक्त झूठ/दमन के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त की हो।

## 9. कई निर्णयों में व्यक्ति की गई राय के विभाजन को देखते हुए

जैनेंद्र सिंह बनाम उत्तर राज्य मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ

प्रदेश 13 ने निर्णय लिया कि जब किसी पदधारी को आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ता है, गिरफ्तार किया जाता है या आपराधिक मामला लंबित होने के कारण नौकरी के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सूचना के दमन/सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के प्रश्न पर आधिकारिक निर्णय के लिए इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाएगा। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अवतार सिंह 10 (उपरोक्त) मामले में उपरोक्त परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा किया, जहां इस न्यायालय की पीठों द्वारा समय-समय पर व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों की जांच करने के बाद, किसी उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को किए गए खुलासों के सत्यापन के लिए लागू किए जाने वाले मानदंडों के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे ताकि यह तय किया जा सके कि वह पदधारी नियुक्ति के लिए योग्य होगा या नहीं। इस संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों को निकाल सकते हैं।

अवतार सिंह 10 (ऊपर) में बनाया गया:-

**“29.** इस प्रक्रिया में यदि कोई घोषणाकर्ता पूर्ववृत्तियों के उचित सत्यापन पर अच्छे नैतिक चरित्र का पाया जाता है, तो केवल तुच्छ अपराध में संलिप्तता का दमन करके, जो प्रमाणन प्रपत्र की तारीख पर लंबित नहीं था, क्या वह रोजगार से वंचित हो सकता है? नैतिक अधमता/गंभीर अपराध शामिल होने का मामला हो सकता है जिसमें कर्मचारी को तकनीकी कारणों या संदेह का लाभ देने के कारण बरी कर दिया गया हो। वहाँ हो सकता है

ऐसी स्थिति हो जब व्यक्ति को जाँच सत्यापन प्रपत्र या मामले के लंबित होने से पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और इसके बारे में जानकारी को दबा दिया गया हो, क्या नियोक्ता को निर्णय लेने के लिए लंबित आपराधिक मामले के परिणाम तक इंतजार करना चाहिए या जब कार्रवाई शुरू की गई हो तो पहले से ही आपराधिक मामले का निष्कर्ष निकल चुका हो जिसके परिणामस्वरूप

13 (2012) 8 एससीसी 748 447

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 448

जैसा भी मामला हो, दोषसिद्धि/दोषमुक्ति में। ऐसे मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आवश्यक जानकारी का खुलासा सच्चाई से किया गया है, तो नियुक्ति के लिए प्राधिकरण को विचार करने और सत्यापन करने की भी आवश्यकता होती है। इसी तरह दमन के मामले में भी, यदि सूचना के सत्यापन की प्रक्रिया में, कुछ जानकारी ध्यान में आती है, तो नियोक्ता को पदधारी को अयोग्य ठहराने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए निर्णय लेना आवश्यक है। यदि पूर्ववृत्तियों के सत्यापन

पर किसी व्यक्ति को एक ही समय में पाया जाता है, तो प्राधिकरण को इस तथ्य के दमन के प्रभाव पर विचार करना होगा कि उस पर तुच्छ अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था, जो उसे अयोग्य नहीं बनाता है, तो इस तरह के गैर-प्रकटीकरण को क्या महत्व दिया जाना चाहिए। क्या सभी प्रकार के मामलों से निपटने के लिए एक ही पैमाना हो सकता है?

xxx

xxx

xxx

**36.** किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद में सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, न कि केवल समान सेवा के लिए निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों/सेवाओं के पद/प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

xxx

xxx

xxx

38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:

38.1. एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

38.2. गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र को दाखिल करने से पहले ही दोषसिद्धि या बरी होना दर्ज किया जा चुका है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:

38.4.1. तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटी सी बात के लिए जिसका खुलासा होने पर किसी पदधारी को प्रश्न पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाता, नियोक्ता अपने विवेकाधिकार में, चूक को माफ करके तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन की अनदेखी कर सकता है।

38.4.2. जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

**38.4.3.** यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के मामले में बरी होने का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

**38.5.** ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

38.7. कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 450 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8. यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. यदि कर्मचारी को सेवा में रखा जाता है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. दमन या गलत जानकारी के निर्धारण के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट सी होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो वास्तविकता के प्रश्न को संबोधित करते समय उसी पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11. इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

10. जैसा कि उपरोक्त निर्णय से देखा जा सकता है, एक नियोक्ता के पास एक उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रकटीकरण में चूक को समाप्त करने या माफ करने का विवेकाधिकार है। ऐसा करते समय, नियोक्ता को विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, पद की प्रकृति और निर्वहन के लिए आवश्यक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पद जितना ऊँचा होगा, मानकों को लागू किया जाना चाहिए। भले ही एक सच्चा खुलासा किया गया हो, नियोक्ता को एक उम्मीदवार की वास्तविकता की जांच करने का अधिकार है और एक समाप्त आपराधिक मामले में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखें और सत्यापित करें कि क्या बरी होना सम्मानजनक है या तकनीकी कारणों से लाभ बढ़ाया गया है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पदधारी संदिग्ध चरित्र का है या पद के लिए अयोग्य है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है या सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है।

**11.** दया शंकर यादव में। **v.** भारत संघ और अन्य **14**, जहाँ

इस न्यायालय को एक उम्मीदवार के पूर्ववृत्त के संबंध में जानकारी मांगने के उद्देश्य की जांच करने के लिए कहा गया था, यह देखा गया कि वे पद के लिए उपयुक्तता का पता लगाने के लिए आवश्यक थे और उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त से संबंधित सत्यापन प्रपत्र में किए गए प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

“15. जब कोई कर्मचारी या कोई भावी कर्मचारी सत्यापन प्रपत्र में चरित्र और पूर्वजों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर घोषित करता है, तो उसके सत्यापन से निम्नलिखित में से कोई भी परिणाम हो सकता है:

(क) यदि घोषणाकर्ता ने प्रत्यावेदन में प्रश्नों का उत्तर दिया है और किसी आपराधिक मामले का विवरण प्रस्तुत किया है (जिसमें उसे साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषी ठहराया गया था या बरी कर दिया गया था), तो नियोक्ता उसे नौकरी से हटाने से इनकार कर सकता है (या यदि पहले से ही परिवीक्षा पर कार्यरत है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर सकता है), यदि वह अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अयोग्य पाया जाता है जिसमें वह शामिल था।

(ख) दूसरी ओर, यदि नियोक्ता यह मानता है कि घोषणाकर्ता द्वारा प्रकट किया गया आपराधिक मामला जो तकनीकी था, या ऐसी प्रकृति का था जो घोषणाकर्ता के रोजगार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, या जहां घोषणाकर्ता को सम्मानपूर्वक बरी और दोषमुक्त कर दिया गया था, तो नियोक्ता इस तथ्य की अनदेखी कर सकता है कि घोषणाकर्ता पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया गया था और उसे नियुक्त करने या उसे रोजगार में जारी रखने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(ग) जहां घोषणाकर्ता ने प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया है और सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उत्तर गलत थे, नियोक्ता घोषणाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है (या उसे छुट्टी दे सकता है, यदि वह पहले से ही कार्यरत है), भले ही घोषणाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो या उसे बरी कर दिया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसके चरित्र से संबंधित भौतिक जानकारी का दमन या गैर-प्रकटीकरण होता है, तो यह स्वयं उद्घोषक को नियुक्त नहीं करने का कारण बन जाता है।

14 (2010) 14 एससीसी 103 451

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 452

(घ) जहां सत्यापन प्रपत्र या सत्यापन प्रपत्र में उचित या पर्याप्त प्रश्न नहीं हैं जिनमें उद्घोषक को किसी आपराधिक कार्यवाही में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, या जहां उम्मीदवार को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में पता नहीं था जब उसने सत्यापन सूची/सत्यापन प्रपत्र में घोषणाएं दीं, तो उम्मीदवार को प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर नियोक्ता अन्य तरीकों से (जैसे पुलिस सत्यापन या शिकायतें, आदि) घोषणा करने वाले की भागीदारी के बारे में जानने पर, नियोक्ता उपरोक्त पाठ्यक्रमों (ए) या (बी) का सहारा ले सकता है। "

(जोर दिया गया)

## **12. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अभिजीत सिंह पवार 15**

जहां राज्य सरकार ने सूबेदारों, प्लाटून कमांडरों और पुलिस निरीक्षकों के पद को बढ़ाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, वहां चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिवादी उम्मीदवार ने अपने खिलाफ एक आपराधिक मामले के लंबित होने का खुलासा करते हुए एक हलफनामा

दायर किया, जिसे बाद में दंड प्रक्रिया संहिता 16 की धारा 320 के अंतर्गत उसके और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते पर जोड़ा गया था। हालाँकि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रतिवादी का चयन किया गया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति को अस्वीकार करने का कारण यह था कि चयनित उम्मीदवार को राज्य की विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को नियुक्त करना अनुचित माना जाता था। उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पलट दिया और लिए गए विचार को खंड पीठ ने स्वीकार कर लिया। जब राज्य सरकार ने मेहर सिंह 9 (ऊपर) में निर्णयों का हवाला देते हुए अपील में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; आर. के. कपूर बनाम.

भारतीय संघ और अन्य 17; मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम परवेज खान 18; प्रदीप कुमार 11 (ऊपर); और अवतार सिंह 10 (ऊपर),

निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:—

15 (2018) 18 एस. सी. सी. 733 16 संक्षेप में 'Cr.P.C' 17 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787 18 (2015) 2 एस. सी. सी. 591

/

[2023] 14 एस सी आर।

13. अवतार सिंह [अवतार सिंह बनाम भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471:(2016) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 425], यद्यपि यह न्यायालय मुख्य रूप से सूचना के गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रकटीकरण के प्रश्न से संबंधित था, पैरा 38.5 में यह देखा गया कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी निष्कर्षित मामले के बारे में सच्चा प्रकटीकरण किया गया था, नियोक्ता को अभी भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और उसे ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

xxx

xxx

xxx

16. हमें इस स्तर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण था या किसी अन्य मामले में पर्याप्त था। प्रत्यर्थी की उपयुक्तता के प्रश्न पर निर्णय, हमारे विचार में, बिल्कुल सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, एकल न्यायाधीश [अभिजीत सिंह पवार बनाम एम. पी. राज्य, 2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 9412,

दिनांक 31-7-2014 (एम. पी.) के साथ-साथ डिवीजन बेंच [एम. पी. राज्य बनाम एम. पी. राज्य] द्वारा दिए गए निर्णयों को दरकिनार करते हैं। अभिजीत सिंह पवार, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 7517] और प्रत्यर्थी द्वारा 2013 की रिट याचिका संख्या 9412 को खारिज कर दिया। व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

### 13. राजस्थान में राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड और एक अन्य

v. अनिल कंवरीया 19, जहां नियोक्ता ने तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और उक्त पद के लिए अर्हता प्राप्त करने पर, उसमें प्रत्यर्थी को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके पुलिस सत्यापन के दौरान जो उसे पद पर रखने के लिए एक पूर्व शर्त थी, यह पता चला था कि उसे निचली न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसे परिवीक्षाधीन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत लाभ बढ़ाया गया था और अच्छे आचरण पर रिहा कर दिया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के समय, प्रतिवादी ने पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा एक दोषसिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिस तथ्य को उसके द्वारा रोक दिया गया था और उसने एक झूठी घोषणा का नेतृत्व किया था। ये तथ्य पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही सामने आए। धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्रस्तुत करने/भौतिक तथ्यों को दबाने से प्राप्त नियुक्तियों पर विधि बनाने के बाद, यह न्यायालय रद्द करने के लिए आगे बढ़ा और इसे रद्द कर दिया।

19 (2021) 10 एससीसी 136 453

### मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 454

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया और कहा कि उक्त निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्थिर था कि कर्मचारी ने भौतिक तथ्यों का खुलासा/दमन नहीं किया था और एक झूठी घोषणा का नेतृत्व किया था।

14. शीर्षक वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जहां बाद में बरी किया गया था, वहां भी कर्मचारी ने गलत जानकारी दी है/किसी लंबित आपराधिक मामले के भौतिक तथ्य को दबाने में लिप्त है, वह अधिकार के मामले के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। नियोक्ता के दृष्टिकोण से ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

“14. इस मुद्दे/प्रश्न पर नियोक्ता के दृष्टिकोण से दूसरे कोण से विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में बरी कर दिया गया है या नहीं। प्रश्न ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता के बारे में है जो रोजगार के प्रारंभिक चरण में यानी घोषणा/सत्यापन जमा करते समय और/या किसी पद के लिए आवेदन करते समय गलत घोषणा करता है और/या किसी

आपराधिक मामले में शामिल होने के भौतिक तथ्य का खुलासा और/या दमन नहीं करता है। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो शायद नियोक्ता ने उसे नियुक्त नहीं किया होता। फिर प्रश्न विश्वास का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही गलत बयान दिया है और/या भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और/या भौतिक तथ्यों को दबा दिया है और इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कर्मचारी को बनाए रखने या न रखने का विकल्प हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा जाता है और जैसा कि निर्णय के कैटेना में ऊपर देखा गया है, ऐसा कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या अधिकार के मामले में सेवा में बना रह सकता है। "

15. तत्काल मामले के तथ्यों पर निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई विधि को लागू करने पर, हमें पता चलता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा की गई अपील 1 को खारिज कर दिया है-राज्य

/

[2023] 14 एस सी आर।

सरकार और सक्षम प्राधिकारी 8 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें प्रतिवादी की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वह अपने सत्यापन प्रपत्र में यह कहते हुए खुलासा करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट था कि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामले 3 में आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें बाद में उसे बरी कर दिया गया था और उसके खिलाफ प्रासंगिक समय पर कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं था।

16. हालाँकि, हम उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। भले ही प्रत्यर्थी ने सच्चाई से घोषणा की थी कि वह एक आपराधिक मामले में शामिल था, जिसका फैसला निचली न्यायालय ने 26 अक्टूबर, 2015 के फैसले के माध्यम से किया था, उक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और फैसले में की गई टिप्पणियों पर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, यह बरी होने का मामला नहीं था। वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता किया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत एक आवेदन का नेतृत्व किया था, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 341 के अंतर्गत अपराध को बढ़ाया गया था। जहां तक शेष मामलों की बात है, जिनके लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था, यानी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 354 (डी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (डी)/12, वे गैर-शमनीय थे और इसलिए, मामले को मुकदमे में ले जाया गया। प्रतिवादी को निचली न्यायालय ने मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण बरी कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने

अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन नहीं किया था और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह मुकर गए थे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी की यह दलील कि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, गुणदोष से रहित पाई जाती है।

17. यह पैरा 38.4 में परिकल्पित स्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 3 अवतार सिंह 10 (ऊपर) के मामले में जहां प्रतिवादी के खिलाफ विरचित गए आरोपों में नैतिक अधमता शामिल थी और यद्यपि उसे अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रतिकूल होने पर बरी कर दिया गया था, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जिसके कारण वह बरी हो गया, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता-राज्य सरकार प्रतिवादी के खिलाफ अपने विवेक का प्रयोग करने और पुलिस विभाग में नियुक्ति के लिए अयोग्य होने के आधार पर अपनी सेवाओं को समाप्त करने के अपने अधिकार के भीतर थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी के साथ हुए समझौते को देखते हुए पुलिस को दिए गए बयान से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामला 3 की घटना 14 फरवरी, 2015 को हुई थी और 455 द्वारा फैसला सुनाया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव [हिमा कोहली, जे.] 456

26 अक्टूबर, 2015 को ट्रायल न्यायालय। अगले ही वर्ष, जब अपीलार्थी-राज्य सरकार ने सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए, तो प्रतिवादी ने अपना आवेदन जमा कर दिया था। भले ही यह प्रत्यर्थी की ओर से आपराधिक मामले 3 के स्पष्ट प्रकटीकरण का मामला है, जिसकी परिणति बरी होने में हुई थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल नहीं हो सका क्योंकि इसमें ऊपर उल्लिखित कारण हैं और आगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला नैतिक अधमता से जुड़ा था और प्रत्यर्थी पर गंभीर प्रकृति के गैर-शमनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था, हमारा मानना है कि निचली न्यायालय के निर्णय को निर्दोष बरी नहीं माना जा सकता है।

18. राज्य सरकार ने 24 अगस्त, 2017 को पत्र जारी करते हुए यह घोषणा करते हुए कि प्रतिवादी उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य था, उपरोक्त पहलुओं को अपीलार्थी द्वारा उचित रूप से ध्यान में रखा गया था। जिन मामलों में नियुक्ति की मांग की गई है, वे विधि प्रवर्तन एजेंसी से संबंधित हैं, वहां नियमित रिक्ति के लिए आवेदन करने वालों की तुलना में बहुत अधिक कठोर होना चाहिए। इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार इस तरह के पद पर नियुक्त होने के बाद, समाज में विधि और व्यवस्था बनाए रखने, विधि को लागू करने, हथियारों और गोला-बारूद से निपटने, संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर डाली जाएगी। इसलिए, विधि प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए ईमानदारी का मानक हमेशा उच्च और अधिक कठोर होना चाहिए क्योंकि उच्च नैतिक

आचरण का अधिकार पुलिस सेवा के रूप में संवेदनशील पद पर नियुक्ति के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है।

19. इसलिए, हमारी राय है कि आपराधिक मामले 3 में प्रतिवादी को केवल बरी करने से वह स्वतः ही विषय पद पर नियुक्ति के लिए घोषित होने का हकदार नहीं होगा। अपीलार्थी-राज्य सरकार ने प्रत्यर्थी के पूर्ववृत्त से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा सामना किया गया एक आपराधिक मामला भी, जिसमें उसे अंततः संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया था, उसे कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। अपीलार्थी द्वारा लिया गया उक्त निर्णय-राज्य सरकार

/

[2023] 14 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी दुर्भावनापूर्ण या मनमानेपन से दूषित नहीं है। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 17 नवंबर, 2017 के निर्णय को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 24 जनवरी, 2018 के आक्षेपित निर्णय अपास्त करते हुए करते हुए बरकरार रखा गया है। अपील की अनुज्ञात है। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

अंकित ज्ञान